चंद्रू @चंद्रशेखरन . . . अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस उप अधीक्षक

सीबी सीआईडी एवं एएनआर द्वारा। . . . प्रतिवादी (ओं) के साथ

आपराधिक अपील संख्या। 2019 का 253

(@SLP (CRL.) 2011 का 2306)

निर्णय:

दीपक गुप्ता, न्यायाधीश

विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 2306/2011 से उत्पन्न अपील में अनुमति दी गई ।

2. दोनों अपीलों का निस्तारण एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. निर्विवाद तथ्य यह है कि मृतक अरुण अभियुक्त शिवा उर्फ शिवप्रकाश, अभियुक्त संख्या 1 का मित्र था । मृतक के साथ अभियुक्त संख्या 1 और चंद्रू @चंद्रशेखरन, अभियुक्त संख्या 2, दिनांक 30.10.2004 को चेन्नई की यात्रा की। वे रात करीब 9 बजे एम. शेख दाऊद (अभियोजन साक्षी–3) द्वारा संचालित मीना गेस्ट हाउस गए, जहां कमरा संख्या इन्हें 203 आवंटित किया गया था. रात करीब साढ़े नौ बजे वेंकटेश उर्फ वेंकी कमरे में आया। वेंकी ने मृतक अरुण की बाईं कलाई में 4 एमएल टिडिजेसिक दवा का इंजेक्शन लगाया। वेंकी ने अपने लिए भी 2 एमएल दवा का इस्तेमाल किया. इसके बाद वेंकी गेस्ट हाउस से चले गए। अगली सुबह यानी दिनांक 31.10.2004 को, अरुण के नहीं उठने पर दोनों अपीलकर्ताओं ने वेंकी को फोन किया। लॉज के रूम ब्वॉय शंकर (अभियोजन साक्षी–4) ने लॉज के प्रबंधक से शिकायत की कि बहुत सारे लोग कमरा संख्या 203 में आ रहे थे । पता चला कि अरुण मर चुका है। इसके बाद, मृतक अरुण के पिता की कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत इकबाल (अभियोजन साक्षी–2) और मृतक के मामा पोंसेकर (अभियोजन साक्षी–1) कमरे में आये।

4. अभियोजन साक्षी–1 ने दिनांक 31.10.2004 को सुबह 9.45 बजे शिकायत पंजीकृत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका भतीजा अरुण पहले चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। यद्वपि, वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था और उसने कुछ बुरी आदतें विकसित कर ली थीं और इसलिए, उसे थूथुकुडी के एक कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिकायत का प्रासंगिक भाग इस आशय का है कि दिनांक 31.10.2004 को सुबह लगभग 7.30 बजे उन्हें इकबाल (अभियोजन साक्षी–2) का फोन आया था जिसमें बताया गया था कि उनका भतीजा अरुण, जो मीना गेस्ट हाउस के कमरा संख्या 203 में रात को रुका था । गेस्ट हाउस में इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवा की भारी खुराक ले ली है और वह बेहोश है।

वह तुरंत गेस्ट हाउस गए जहां उन्होंने देखा कि उनका भतीजा मर चुका है। इसके बाद वह ट्रिप्लिकेन पुलिस थाना गए और प्रतिवेदन पंजीकृत कराई।

5. उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर मामला अपराध संख्या 2004 का 1150, पंजीकृत किया गया था। मृतक के शव को शव–परिक्षण के लिए भेज दिया गया। डॉ. एएन शनमुघम (अभियोजन साक्षी–6) ने शव–परिक्षण किया। उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मृत्यू का कारण क्या था लेकिन नशीली दवाओं के इंजेक्शन से यह संभव हुआ। वेंकी को उक्त अपराध के क्रम में गिरफ्तार किया गया था और उसने कथित तौर पर दिनांक 08.11.2004 को पुलिस के सामने एक सस्वीकृति बयान दिया था जिसके कारण टिडिजेसिक सिरिंज, खाली एम्पौल, अप्रयुक्त टिडिजेसिक एम्पौल आदि की खोज हुई थी। अभियोजन साक्षी–1, के मामा मृतक ने फरवरी 2005 में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जांच को किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की क्योंकि वह मामले की जांच के तरीके से खुश नहीं था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.02.2005 के आदेश के तहत जांच को सीबी सीआईडी, तमिलनाडु को स्थानांतरित कर दिया। पुलिस के सामने तीन संदिग्ध थे, वेंकटेश उर्फ वेंकी, शिवप्रकाश उर्फ शिवा और चन्द्रशेखरन उर्फ चंद्रू। इन तीनों का फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्कोएनालिसिस परीक्षण किया गया। जांच करने वाले जांच अधिकारी (डीडब्ल्यू–4) के अनुसार, दोनों अपीलकर्ताओं ने उक्त परीक्षणों को पास कर लिया और उनके विरूद्व कोई संदेह नहीं था क्योंकि उन्होंने धोखे के कोई संकेत नहीं बताए। यद्वपि, परीक्षण के दौरान वेंकी के उत्तर भ्रान्तिजनक पाए गए।

6. वर्ष 2006 में, मृतक के पिता अभियोजन साक्षी–5 ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। यह याचिका दिनांक 08.02.2008 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। इस बीच, दिनांक 23.01.2008 को, घटना के तीन साल से अधिक समय पश्चात, सीबी सीआईडी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (संक्षेप में द्र.प.स.) के तहत केवल वेंकटेश @ वेंकी के विरूद्व धारा 304 भाग 2 भा0 दी0 वी0 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। वर्तमान अभियुक्तों (यहां अपीलकर्ताओं) को उक्त आरोप–पत्र में अभियोजन साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था। वेंकी की मृत्यु आरोप–पत्र दाखिल होने के बाद लेकिन मामले की सुनवाई से पहले दिनांक 21.07.2008 को हो गई।

7. इसके बाद ही मृतक के मामा अभियोजन साक्षी–1 ने न्यायालय के समक्ष एक निजी शिकायत पंजीकृत की, जो प्रदर्शनी पी–1 है। इस शिकायत में कहा गया था कि दोनों अभियुक्त और मृतक कमरा संख्या 203 में रुके थे और वेंकी अभियुक्त चंद्रू के निमंत्रण पर कमरे में आये थे। वेंकी एक ड्रग पेडलर था और अरुण को ड्रग्स लेने की आदत नहीं थी. अभियुक्त के कहने पर वेंकी ने मृतक की बायीं कलाई में 4 एमएल टिडिजेसिक

इंजेक्शन लगाया था. यह भी आरोप लगाया गया कि वेंकी को रुपये का भुगतान किया गया था। अभियुक्त शिवा द्वारा उसकी सेवाओं के लिए 50/– रु. इस शिकायत के मुताबिक, अरुण को बायीं बांह के अंदरूनी हिस्से में दूसरी बार इंजेक्शन लगाया गया था. जब यह साक्षी कमरा संख्या 203 में गया, वेंकी उपस्थित थे और उन्होंने शिकायतकर्ता को बताया कि अभियुक्त ने बांह के बाएं अंदरूनी हिस्से पर अत्यधिक नशीली दवाएं दी थीं, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई। शिकायत में यह भी कहा गया था कि दिनांक 31.10.2004 को गेस्ट हाउस का दौरा करने के तुरंत बाद, वह ट्रिप्लिकेन पुलिस थाना गए थे, जहां पुलिस ने जबरन दो कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए थे। आरोप था कि पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की मिलीभगत से एफआईआर पंजीकृत की थी। इस शिकायत में यह भी बताया गया है कि दो इंजेक्शन लगाने के निशान थे और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की प्रतिवेदन के मुताबिक मृतक को भारी मात्रा में नशीला पदार्थ इंजेक्ट किया गया था, जिससे उसकी मृत्यू हो गई. इस शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि अभियुक्त शिवा का अभियोजन साक्षी–10 (इसके बाद 'आर' के रूप में संदर्भित) के साथ घनिष्ठ संबंध था। शिकायतकर्ता के अनुसार, आर (अभियोजन साक्षी–10) का परिचय मृतक अरुण से हुआ था और वे नियमित रूप से हर दिन फोन पर एक–दूसरे से बात करते थे और इसलिए, अभियुक्त शिवा यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी प्रेमिका किसी अन्य व्यक्ति के प्रति निष्ठापूर्ण आचरण रखें। इसलिए, उसने चंद्रू से संपर्क किया, जो एक मेडिकल कॉलेज का छात्र था और उसकी मदद से अरुण को मारने के उद्देश्य से टिडिजेसिक की अतिरिक्त खुराक का इंजेक्शन लगाया।

8. निजी शिकायत पंजीकृत होने के बाद, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सात गवाहों के बयान पंजीकृत किए और भा0 द 0 वी0 की धारा 302 के तहत मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार पाया। इसके बाद, मामला सत्र न्यायालय को सुपूर्द कर दिया गया और अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप तय किए गए, जिन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया। साक्षियों के साक्ष्य पंजीकृत किये गये. अभियुक्तों ने चार गवाहों से भी पूछताछ की। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को भा0 द 0 वी0 की धारा 302 और धारा 120 ख भा0 द 0 वी0 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। व्यथित होकर अभियुक्त ने दो अलग–अलग आपराधिक अपीलें दायर कीं , जिन्हें खारिज कर दिया गया है। इसलिए, वर्तमान अपील है ।

9. माना कि इस मामले का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना के संबंध में विधि हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343 के मामले में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है , जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा था:

"10.....यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और सभी तथ्य इस प्रकार स्थापित केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए लेकिन साबित करने के लिए प्रस्तावित किया जाए। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक श्रृंखला अब तक पूरी होनी चाहिए ताकि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। "

10. इस विधि का लगातार पालन किया गया है और अधिकारियों की बैठक में इसे दोहराया गया है। सभी प्राधिकारियों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यद्वपि, हम सर अल्फ्रेड विल्स की पुस्तक विल्स ऑन सर्कमस्टैंटियल एविडेंस (अध्याय VI), (बटरवर्थ्स, सातवां संस्करण, पीपी 296–329) का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में विशेष रूप से पालन किए जाने वाले निम्नलिखित नियम निर्धारित किए हैं।

"नियम 1. – किसी भी कानूनी अनुमान के आधार के रूप में कथित तथ्यों को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए, और तथ्यात्मक जांच से जुड़े उचित संदेह से परे होना चाहिए.....

नियम 2. – सबूत का भार हमेशा उस पक्ष पर होता है जो किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व पर दावा करता है जो कानूनी जवाबदेही का अनुमान लगाता है।

नियम 3. – सभी मामलों में, चाहे वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य का हो, सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करती है...

नियम 4. – अपराध के अनुमान को उचित ठहराने के लिए, दोषी तथ्य अभियुक्त की बेगुनाही के साथ असंगत होने चाहिए, और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए... .....

नियम 5. – यदि अभियुक्त के अपराध पर कोई उचित संदेह है, तो वह रिहा होने का अधिकार रखता है।"

11. विधि को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है:

1. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, जिससे अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाया गया, उन्हें संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए;

2. परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करें;

3. परिस्थितियों को इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि कड़ियों को जोड़ने से बनी श्रृंखला का संचयी प्रभाव इतना पूर्ण हो कि यह केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे यानी अभियुक्त का अपराध;

4. यह कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए ।

12. यह उपरोक्त विधि के आलोक में है कि हमें नीचे की न्यायालयों द्वारा भरोसा किए गए सबूतों और परिस्थितियों पर विचार करना होगा।

13. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित किसी मामले में न्यायालयों के लिए यह हमेशा बेहतर होता है कि वे प्रत्येक परिस्थिति से अलग–अलग निपटें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन परिस्थितियों को जोड़ें जो साबित हो चुकी हैं। दुर्भाग्य से, इस मामले में, हालांकि कुछ परिस्थितियों का संदर्भ दिया गया है, परिस्थितियों पर अलग से चर्चा नहीं की गई है। इसलिए, हम अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई विभिन्न परिस्थितियों पर चर्चा करने का प्रस्ताव करते हैं:

<u>1.आखिरी बार एक साथ देखा गया –</u>

जहाँ तक इस परिस्थिति का प्रश्न है, यही बात सिद्ध होती है। यह सब मामला है कमरा नं. 203 में मीना गेस्ट हाउस को दोनों अभियुक्तों और मृतक ने किराए पर लिया था। वेंकी रात करीब 9.30 बजे आए, लेकिन वह रात 10.15 बजे चले गए। इसके बाद लॉज में ताला लगा हुआ था। अत: यह परिस्थिति सिद्ध होती है। यद्वपि यह परिस्थिति साबित हो चुकी है, हमें उन परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए जिनके तहत अभियुक्तों को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि यह अभियुक्त है जो मृतक को मारने के इरादे से कमरे में ले गया था क्योंकि अभियुक्त शिवा को संदेह था कि आर (अभियोजन साक्षी – 10) का मृतक के साथ संबंध था। यद्वपि, जिस तरह से अभियुक्त चेन्नई और गेस्ट हाउस पहुंचा, उससे बिल्कुल अलग कहानी का पता चलता है। मृतक के मामा (अभियोजन साक्षी–1) का कहना है कि अभियोजन साक्षी–5 के एक कर्मचारी जयराज ने उन्हें 30.10.2004 को शाम लगभग 6/7 बजे फोन पर सूचित किया कि मृतक अरुण अपने मित्र सिद्धार्थ के साथ रहने आ रहा था। रात में चेन्नई में अभियोजन साक्षी–1 के साथ। कुछ मिनट बाद, अभियोजन साक्षी–1 ने अपने भतीजे अरुण से बात की, जिसने उसे यह भी बताया कि वह अपने चाचा के घर आएगा लेकिन नहीं आया। सिद्धार्थ, गोमती पांडियन (अभियोजन साक्षी–7) का बेटा है। उनके अनुसार, सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि वह अपने मित्र अरुण (मृतक) के साथ कुछ कपड़े खरीदने के लिए चेन्नई जा रहे थे। वह अपने बेटे को उसके मित्र के साथ भेजने के लिए अनिच्छुक थी लेकिन फिर उसने अरुण से बात की जिसने उसे बताया कि वे बस से चेन्नई जाएंगे और सिद्धार्थ को उसके साथ भेजने के लिए मना लिया। उसने सिद्धार्थ को बस स्टैंड पर छोड़ा। बाद में उसे पता चला कि

उसका बेटा सिद्धार्थ मृतक अरुण और तीन अन्य लोगों के साथ एक कार में चेन्नई गया था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उन्हें कला देवी (अभियोजन साक्षी–8) द्वारा इस बारे में सूचित किया गया था, जिनके बेटे मथेश ने भी उसी कार में यात्रा की थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह अरुण (मृतक) ही था, जिसने सिद्धार्थ की माँ को सिद्धार्थ को उसके साथ भेजने के लिए मना लिया। इस साक्षी ने यह भी कहा कि बाद में उसके बेटे ने उसे बताया कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसके बाद, वह और मथेश चेन्नई नहीं गए और अपने घर लौट आए। अभियोजन साक्षी–8 का कहना है कि उसके बेटे मथेश ने उसे बताया था कि वह कोयंबटूर जा रहा है। अगली सुबह उसके भाई के बेटे का फोन आया। उसने उसे बताया कि जिस कार में मथेश यात्रा कर रहा था उसका दुर्घटना हो गया है। उसे यह भी बताया गया कि मथेश अपने दोस्तों शिवा, चंद्रू, सिद्धार्थ और अरुण के साथ उसके भाई के घर आया और उसके बाद मथेश घर लौट आया। ऐसे में साफ है कि कार में सिद्धार्थ और मथेश भी सवार थे और वो भी चेन्नई गए होंगे लेकिन कार का दुर्घटना हो गया. इसके बाद सिद्धार्थ और मथेश आगे नहीं बढ़े और अपने घर लौट आए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त नहीं था, जिसने यात्रा का आयोजन किया था, बल्कि यह मृतक था, जिसने यात्रा का आयोजन किया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त मृतक को अपने साथ गेस्ट हाउस में ले गया था। उसे मारने का इरादा.प्रमाण।

2. चिकित्सीय साक्ष्य

इस मामले में सामने आए चिकित्सीय साक्ष्य से साफ पता चलता है कि मृतक की मृत्यू टिडिजेसिक के ओवरडोज के कारण हुई। यह विवादित नहीं है कि वेंकी द्वारा मृतक की कलाई में 4 मिलीलीटर टिडिजेसिक इंजेक्ट किया गया था, जिसने उसी पदार्थ के 2 मिलीलीटर को खुद में इंजेक्ट किया और उसके बाद मृतक की मृत्यु हो गई। डॉ. आर. भास्करन (अभियोजन साक्षी–11), जो रोयापेट्टई सरकारी अस्पताल, चेन्नई में कानूनी और फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख हैं, के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रासायनिक विश्लेषण के बाद यह पाया गया कि आपत्तिजनक पदार्थ की मात्रा पाई गई मृतक के खून में 40 मिलीलीटर टिडिजेसिक का इंजेक्शन लगाने के बराबर होगा। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक की मृत्यू दवा की अधिक खुराक के कारण हुई।

अभियोजन साक्षी–11 ने कहा कि यदि 20 मिलीलीटर सिरिंज का उपयोग किया जाता है तो दो प्रयासों में लगभग 40 मिलीलीटर टिडिजेसिक इंजेक्ट किया जा सकता है। यद्वपि, यदि 5 मिलीलीटर सिरिंज का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए 8–10 प्रयासों की आवश्यकता होगी। उनका साफ कहना है कि वह यह नहीं बता सकते कि यह 40 एमएल टिडीजेसिक मृतक के शरीर में कब और कैसे डाला गया। वह यह भी नहीं बता सके कि मृत्यू किस समय हुई। उन्होंने यह भी कहा कि दवा का असर होने में 6 से 24 घंटे लगते हैं

और यह दवा की मात्रा, इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति के शरीर और गतिविधियों पर निर्भर करेगा। इसलिए, उनका बयान हमें मृत्यु के समय के संबंध में या उन प्रयासों की संख्या के संबंध में मदद नहीं करता है जिनमें मृतक के शरीर में दवा इंजेक्ट की गई थी। शव–परिक्षण प्रतिवेदन में भी मृत्यू का अनुमानित समय नहीं बताया गया है. शव–परिक्षण करने वाले डॉ. एएन शनमुघम (अभियोजन साक्षी–6) भी यह नहीं बता सके कि मृत्यू कब हुई।

डॉ. एएन शनमुघम (अभियोजन साक्षी–6) ने अपने बयान में कहा था कि दवा के इंजेक्शन के कारण सुई की वजह से चोटें सामने की बांह, अगले पैर के टखने, सामने और मध्य अगली बांह में पाई गईं। उनका सामना शव–परिक्षण प्रतिवेदन (पीडी–5) से हुआ है, जिसमें इंजेक्शन के सिर्फ दो निशानों का जिक्र है– एक बायीं कोहनी के जोड़ के सामने और दूसरा बायीं बांह के बीच में. इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शरीर पर कोई अन्य बाहरी या आंतरिक चोट नहीं देखी गई है। वह इस बात का ठीक से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं कि उन्होंने शव–परिक्षण प्रतिवेदन में अन्य जख्मों का जिक्र क्यों नहीं किया। इसका मतलब यह होगा कि मृतक को केवल दो बार इंजेक्शन लगाया गया था।

अभियोजन पक्ष का मामला है कि पहली बार मृतक को 4 मिलीलीटर टिडिजेसिक का इंजेक्शन लगाया गया था। इसलिए, अगले अवसर पर एक बार में 36 मिलीलीटर इंजेक्ट नहीं किया जा सकता था। पुलिस को कमरे से कोई सिरिंज या अन्य सामान बरामद नहीं हुआ है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, रात करीब साढ़े दस बजे लॉज में ताला लगा हुआ था. अगली सुबह मृतक मृत पाया गया। अभियुक्तों से या उनके कहने पर अपराध से जुड़ने के लिए किसी भी एम्पौल या सिरिंज की कोई बरामदगी नहीं की गई है।

अभियोजन पक्ष, उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य के माध्यम से, अभियुक्त को मृतक की मृत्यु से जोड़ने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष मृतक की मृत्यु का सही समय साबित करने में विफल रहा है। मृतक को सबसे पहले रात 9.30 बजे से 10 बजे के बीच एक इंजेक्शन लगाया गया था. डॉक्टर के मुताबिक इसका असर करीब छह घंटे में खत्म हो सकता है। इसलिए मृतक द्वारा आधी रात में खुद उठकर इंजेक्शन लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी संभावना है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को बुलाकर नशीला इंजेक्शन लगाया हो। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि शेष 36 मिलीलीटर दवा कहां से आई। यह दवा किसे और कब मिली? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने यह दवा खरीदी थी. उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है और इसलिए, हमारा विचार है कि हालांकि यह साबित हो गया है कि मृतक की मृत्यू नशीली दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण हुई, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों को मृतक की मृत्यू से जोड़ने में बुरी तरह विफल रहा है ।

3. उद्देश्य

उद्देश्य यह बताया गया है कि आर (अभियोजन साक्षी–10) अभियुक्त शिवा का करीबी था, जिसने उसे अरुण से मिलवाया था। अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले के अनुसार, दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए थे और वे नियमित रूप से फोन पर और एसएमएस के माध्यम से एक–दूसरे से बातचीत करते थे। यह शिवा (अभियुक्त संख्या 1) को पसंद नहीं आया, जिसने इसके बाद चंद्रू (अभियुक्त संख्या 2) के साथ मिलकर मृतक को अधिक मात्रा में खुराक देकर मारने की साजिश रची। आर (अभियोजन साक्षी–10) ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है और उसके अनुसार, वह अरुण से कभी नहीं मिली थी लेकिन उससे फोन पर बात की थी और वह भी कभी–कभार। उसने यह भी कहा कि वह और मृतक अरुण एसएमएस का आदान–प्रदान करते थे जो सामान्य प्रकृति का था। उसने जिरह में इस बात से इनकार किया कि वह हर दिन अरुण से बात करती थी। उन्होंने कहा कि वे आम तौर पर कॉलेज से संबंधित मामलों पर बात करते थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि शिव के साथ उनका कोई विशेष रिश्ता है। उनके अनुसार, कॉलेज–साथी होने के नाते शिवा उनके मित्र थे। यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं दिया गया है कि आर (अभियोजन साक्षी–10) का अभियुक्त शिवा के साथ कोई विशेष संबंध था या उसने मृतक अरुण के साथ कोई विशेष संबंध विकसित किया था। इस संबंध में एकमात्र साक्ष्य आर (अभियोजन साक्षी–10) का बयान है, जो अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। इस संबंध में, यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि अभियोजन साक्षी–1 द्वारा दायर की गई पहली शिकायत में, आर (अभियोजन साक्षी–10) का कोई उल्लेख नहीं है, उसके अभियुक्त या मृतक के साथ किसी भी संबंध होने का तो बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। अरुण की मृत्यू के चार साल बाद पंजीकृत की गई शिकायत में ही यह बात पहली बार सामने आई थी. चार साल की इस लंबी चुप्पी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है . इसलिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि उद्देश्य साबित नहीं हुआ है।' हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अभियुक्त और मृतक अच्छे मित्र थे। उन्होंने कई वर्षों तक एक साथ पढ़ाई की थी और ऐसे प्रेम त्रिकोण के बारे में रत्ती भर भी सबूत नहीं है।

4. चंद्रू एक मेडिकल छात्र थे–

नीचे दी गई दोनों न्यायालयों इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि चंद्रू को शिवा ने अपराध करने के लिए कहा था क्योंकि चंद्रू एक मेडिकल छात्र था और वह अकेले ही जानता था कि मृतक के शरीर में पदार्थ को कैसे इंजेक्ट किया जाए। हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि निचली न्यायालयों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह से गलत था। अभियुक्त शिवा के कहने पर चंद्रू किसी दूसरे इंसान की हत्या क्यों करेगा? चंद्रू एक मेडिकल छात्र था, वह ऐसे पेशे में पढ़ रहा था जिसका उद्देश्य लोगों की जान बचाना है न कि लोगों की हत्या करना। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि मृतक नशे का आदी था और लंबे समय से

इंजेक्शन से नशीली दवाएं ले रहा था। यह सर्वविदित है कि ऐसे नशेड़ी आसानी से खुद को इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस मामले में क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि चंद्रू ने मृतक के शरीर में जहरीला पदार्थ इंजेक्ट किया था। इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, केवल शिवा और चंद्रू ही नहीं थे जो मृतक अरुण के साथ चेन्नई आ रहे थे बल्कि सिद्धार्थ और मथेश भी उसी कार में चेन्नई आ रहे थे। हालांकि, कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ही वे वापस गए। ये सभी लड़के किशोरावस्था के अंत या 20 के दशक की शुरुआत में थे और उनमें से दो दुर्घटना के बाद डर गए और वे अपने रिश्तेदारों के घर चले गए और वहां से उन्होंने अपनी–अपनी माताओं से संपर्क किया। चूँकि उन्होंने झूठा बहाना बनाकर अपनी माँ से अनुमति ले ली थी, इसलिए वे डर गये और वापस चले गये। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रू का अरुण को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय के साथ–साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि शिवा और चंद्रू ने अरुण की हत्या की साजिश रची थी या उनका सामान्य इरादा था, किसी ठोस या विश्वसनीय सबूत पर आधारित नहीं है।

14. ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों के अलावा, अन्य परिस्थितियां भी हैं जो अभियोजन के विरूद्ध जाती हैं जिनका हम अब उल्लेख करेंगे:

1. अभियोजन साक्षी–1 के बयान में असंगति – अभियोजन साक्षी–1 मृतक का मामा है। दिनांक 31.10.2004 को पुलिस थाना में की गई उनकी पहली शिकायत में आर (अभियोजन साक्षी –10) या अन्य तथ्यों का कोई संदर्भ नहीं है जो बाद के चरण में बताए गए हैं। चार साल बाद उनके द्वारा पंजीकृत की गई निजी शिकायत घटना के तुरंत बाद उनके द्वारा पंजीकृत की गई पहली शिकायत के विपरीत है। उनकी सफाई है कि पुलिस ने उनसे दो कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा था. सबसे पहले, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि पुलिस इस प्रकृति के मामले में अभियुक्त की मदद करने और वास्तविक अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों करेगी । दूसरे, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि अभियोजन साक्षी–1, मृतक के मामा या अभियोजन साक्षी–5, मृतक के पिता ने कभी किसी प्राधिकारी से शिकायत की थी कि अभियोजन साक्षी–1 को दो कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। यह एक ऐसा मामला है जहां मृतक के मामा और पिता ने जांच को स्थानांतरित करने के लिए कम से कम दो अवसर पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वे एक बार सफल हुए और दूसरी बार असफल हुए। यदि अभियोजन साक्षी–1 की यह बात सही होती कि उसके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर लिए गए थे, तो उसने इतना पहले ही बता दिया होता। उन्होंने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी होगी या फिर उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में इसका जिक्र किया होगा. मूल शिकायतकर्ता और सूचक और राज्य के अधिवक्ता से पूछे गए सवाल के बावजूद वे यह बताने में विफल रहे कि क्या ऐसी कोई शिकायत अभियोजन

साक्षी–1 या अभियोजन साक्षी–5 द्वारा की गई थी। इसलिए, हम अभियोजन साक्षी–1 के इस संस्करण को स्वीकार नहीं करते हैं कि उसके हस्ताक्षर सादे कागजों पर प्राप्त किए गए थे। इससे अभियोजन साक्षी–1 के बयान की सत्यता पर भी संदेह होता है.

2. निजी शिकायत पंजीकृत करने में देरी – यह सच है कि अभियोजन साक्षी–1 और अभियोजन साक्षी–5 मामले को किसी अन्य जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर रहे थे, लेकिन साथ ही, यह उल्लेख करना उचित होगा कि बाद में जांच अधिकारी (डीडब्ल्यू–4) द्वारा वेंकी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था, न तो अभियोजन साक्षी–1 और न ही अभियोजन साक्षी–5 ने इस आशय की कोई विरोध याचिका दायर की कि अभियुक्त (यहाँ अपीलकर्ता) को भी अभियुक्त के रूप में दोषी ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने मामले को चलने दिया और वेंकी की मृत्यु के बाद ही निजी शिकायत पंजीकृत की गई। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कोई विरोध याचिका क्यों दायर नहीं की गई, जबकि पुलिस ने केवल अभियुक्त वेंकी के विरूद्ध मामला बनाया था और वह भी भा0द0वी0 की धारा 304 के तहत, न कि हत्या के तहत।

3. अभियोजन साक्षी–1 और अभियोजन साक्षी–5 स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आ रहे हैं – उद्देश्य चार साल बाद पेश किया गया है। मृतक के पिता और मामा ने पहले कभी भी आर (अभियोजन साक्षी–10) के साथ मृतक की बातचीत का मुद्दा नहीं उठाया। इसलिए, अभियोजन साक्षी–1 और अभियोजन साक्षी–5 साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने की कहानी तो गढ़ी ही, उद्देश्य को लेकर भी कहानी गढ़ी। इसलिए, उनके सबूत विश्वसनीय नहीं हैं और ऐसे सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

15. बस इतना ही साबित हुआ कि मृतक और अभियुक्त एक कमरे में सो रहे थे और मृतक की मृत्यू नशे की ओवरडोज के कारण हुई। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि अभियुक्त ने इस दवा का इंजेक्शन लगाया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि वेंकी ने पहला इंजेक्शन लगाया था, जो केवल 4 मिलीलीटर था। ऐसी संभावना है कि मृतक ने दूसरी बार खुद को रात के मध्य में या सुबह जल्दी इंजेक्शन लगाया होगा। इस संदर्भ में, हमें यह याद रखना चाहिए कि शव–परिक्षण करने वाले डॉक्टर ने मृतक की मृत्यु का कोई अनुमानित समय नहीं बताया है जिससे हमें इस मामले में मदद मिल सके। सिद्ध परिस्थितियों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल अभियुक्त ने ही अपराध किया है। वास्तव में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में भी विफल रहा है कि उपरोक्त हमारे द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्यों में विसंगतियों को देखते हुए मृत्यू मानव हत्या है। अन्यथा भी, यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने ही मृतक

को इंजेक्शन लगाया था और अभियुक्त द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

16. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हम दोनों अपीलों को स्वीकार करते हैं, आपराधिक अपील संख्या में उच्च न्यायालय के दिनांक 30.11.2010 के फैसले को रद्द करते हैं । 2010 का 592 और 2010 का 636 और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या का निर्णय दिनांक 24.09.2010 । वी, चेन्नई एससी संख्या 2009 का 237. अभियुक्त–अपीलकर्ताओं को रिहा कर दिया गया है। जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

अपिल अनुमत

अनुवादक

अनिल कु0 मिश्रा–II

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दुमका, झारखण्ड